

II/60/2910/जन्म-मृत्यु/2122
25-8-2021


कार्यालय जन्म-मृत्यु अनुभाग,
नगर निगम, वाराणसी।

श्री संदीप श्रीवास्तव,
को-ऑर्डिनेटर, कम्प्यूटर सेल,
नगर निगम, वाराणसी ।


कृपया नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या-1/246/केन्द्रीय/21-22, दिनांक-19.08.2021 का सन्दर्भ लें। जिसमें विभाग द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों का विवरण प्रारूप पर उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किये गये हैं। के क्रम में वांछित सूचना निम्नवत् है-

क्र०सं०	विभाग का नाम	शुल्क का नाम	निर्धारित शुल्क (अवधि के अनुसार)
1-	जन्म-मृत्यु अनुभाग	जन्म-मृत्यु की सूचना	निःशुल्क (21 दिन के अन्दर)
2-		जन्म-मृत्यु के बिलम्बित व अर्धदण्ड शुल्क	2+10= 12 (21 दिन से अधिक व) 30 दिन के अन्दर)
3-		"	5+50= 55 (एक माह से अधिक व एक वर्ष से अन्दर)
4-		"	10+50= 60 (एक वर्ष से अधिक)
5-		उद्धरण प्रति (धारा-17)-नकल	5+10=15 (अवधि निर्धारित नहीं है)
6-		अनउपलब्ध प्रमाण-पत्र	2+10=12
7-		संशोधन शुल्क	50=00 (अवधि निर्धारित नहीं है)
8-		नामांकन शुल्क व नकल	(एक वर्ष तक नामांकन निःशुल्क) 15+15=30 (एक वर्ष उपरान्त)

अतः नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन में वांछित सूचना प्रारूप पर प्रेषित है।


रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) /
नगर स्वास्थ्य अधिकारी

प्रतिलिपि: नगर आयुक्त महोदय के आदेश के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।


रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) /
नगर स्वास्थ्य अधिकारी